(36)

COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES Rs.20

न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 3883 - III/14 प्र. क्र. /2014

शोभागमल पिता उत्तमचंद डोसी, जाति जैन
आयु 55 वर्ष लगभग, धंधा व्यापार
निवासी–64, जवाहर नगर, नीमच ----प्रार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला कलेक्टर महोदय,
नीमच, जिला नीमच (म.प्र.) ----प्रतिप्रार्थी

पूर्नरीक्षण एवं अपील अन्तर्गत धारा 56 इन्डियन स्टेम्प एक्ट

क्रमांक 3542 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 3-11-14 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर महोदय,

सेवा में, प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से निम्न प्रकार से पूर्नरीक्षण/अपील अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स जिला नीमच के द्वारा प्रकरण क्र. 2/सी.–131/2008–09 श्रीमती मंजूला, आदि–2 विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में दिनांक 21.08.2012 को दिये गये निर्णय के विरूद्ध निम्नानुसार पत्र मिलने की दिनांक से अन्दर मियाद 60 दिन में सूचना मिलने की दिनांक से निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

मामले के तथ्य

अ. यह कि महानिरीक्षक पंजीयन दीपाली रस्तोगी के द्वारा दिनांक 06.08.2014 को सूचना पत्र क्रमांक 3544/तकनीकी/2014 को भिजवाये गये पत्र से ज्ञात हुआ कि दिनांक 22.11.2012 को कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधिक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश को भिजवाये गये भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अन्तर्गत भेजे गये आवेदन पत्रों जिसमें अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3883–ग/2014 जिला नीमच

शोभागमल विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–8–2015	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं, परन्तु अभिलेख में एक आवेदन पूर्व से संलग्न हैं जिसके अनुसार आदेश की फोटोकॉपी के आधार पर प्रकरण के निराकरण का अनुरोध किया है। 2/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित। उनके द्वारा तर्क किया कि आवेदक ने एच0डी0एफ0सी0 बैंक से ऋण चाहा था इसके लिए 700/– रूपये के स्टामय कय कर दिनांक 6–12–2008 को प्रस्तुत किये, जो स्टाम्प आवेदक को ऋण स्वीकृत न होने के कारण वापस कर दिये गये। आवेदक ने स्टाम्प को कलेक्टर आफ स्टाम्प के यहां वापस कर 700/– रूपये का भुगतान करने का आग्रह किया। जिसे कलेक्टर आफ स्टाम्प ने प्रकरण कमांक 3/सी–132/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 21–8–2012 के द्वारा खारिज किया। आवेदक द्वारा दिनांक 21–8–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में दो वर्ष से अधिक विलम्ब से दिनांक 3–11–14 को प्रस्तुत किया। यह भी तर्क किया कि उक्त प्रकरण में निगरानी न होकर अपील प्रस्तुत किये जाने प्रावधान है। अतः निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाये। 3/ आवेदक के आवेदन तथा अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषकों के तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया	

से जिससे स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प ने प्रश्नाधीन स्टाम्पों के अवलोकन करने पर पाया कि स्टाम्प कमांक 7857 से 7859 तक में एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0 की पद मुद्रा तथा आवेदक के हस्ताक्षर होकर निष्पादित हैं तथा स्टाम्प कमांक 12970 पर श्री जी0एल0 किलोरिया नोटरी की सील/हस्ताक्षर एवं सभी स्टाम्पों पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं किये गये है, अर्थात उक्त स्टाम्प प्रयोजन में उपयोग लिये जा चुके हैं। प्रकरण भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 49(घ) की परिधि में नहीं आता है। कलेक्टर आफ स्टाप्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। निगरानी में विचाराधीन आदेश की सत्यप्रति शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त निगरानी समयावधि से बाहर प्रस्तुत की गई है तथा आज आवेदक सूचना उपरांत भी अनुपस्थित है। अतः उक्त आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य